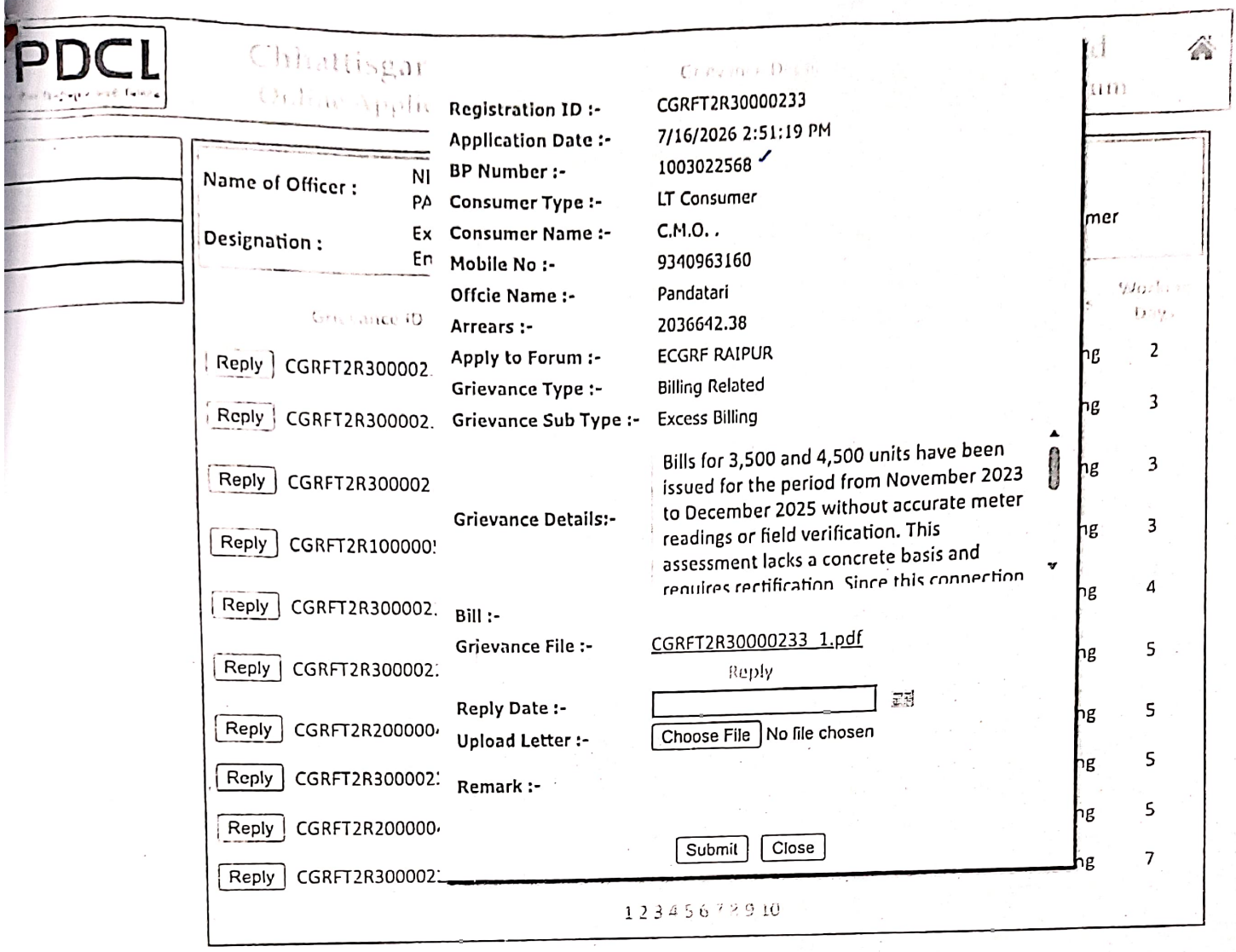

Grievance Details -

Bills for 3,500 and 4,500 units have been issued for the period from November 2023 to December 2025 without accurate meter readings or field verification. This assessment lacks a concrete basis and requires rectification. Since this connection powers streetlights which primarily constitute a reactive load power factor charges have been levied incorrectly and should be withdrawn in accordance with the applicable tariff. Furthermore, the bills from previous months should be reviewed, as no clear explanation has been provided for the sudden surge in consumption.

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड
(छ.ग. शासन का उपक्रम) (छ.रा.वि.मं. की उत्तरदायी कम्पनी)
कार्यालय कार्यपालन अभियंता (सं./सं.) संभाग पण्डरिया जिला कबीरधाम (छ.ग.)
मुंगेली रोड ग्राम डोमसरा पोस्ट महली तह. पंडरिया जिला कबीरधाम (छ.ग.) पिन न. 491559 दूरभाष +91 62695 06701

क्रमांक / 544300 / राजस्व / विउशिनिफोरा / 1546 पण्डरिया दिनांक 27 / 08 / 2026

प्रति

अध्यक्ष महोदय,
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :– सूचना पत्र अंतर्गत धारा 42(5) विद्युत अधिनियम 2003 के संबंध मे।

संदर्भ :–
1. आपका पत्र क्रमांक 13–01 / वि.उ.शि.नि.फो. / 66 दिनांक 22.07.2026।
2. इस कर्यालय का पत्र क्रमांक 1417 दिनांक 11.08.2026।
3. कनिष्ठ अभियंता पाण्डातराई का पत्र क्रमांक 426 दिनांक 20.08.2026।
4. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1499 दिनांक 20.08.2026।

——000——

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत पाण्डातराई जिला कबीरधाम द्वारा विद्युत कनेक्शन क्रमांक 1003929592 (C.M.O. स्ट्रीट लाईट) के संबंध में माह 11 / 2023 से 12 / 2025 तक बिना मीटर रीडिंग के विद्युत बिल जारी किए जाने एवं बिल में सुधार किए जाने संबंधी शिकायत प्रस्तुत की गई है।

(1) कनिष्ठ अभियंता का पत्र क्रमांक 946 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार नगर पंचायत पाण्डातराई के सीएमओ प्रकाश लाईट बीपीनं. 1003022568 में कनिष्ठ अभियंता के द्वारा माह 01 / 2021 को जांच किया गया जिसमें 3 HP अनुबंधित भार में एक कनेक्शन वैधानिक रूप से लेकर शेष 9 ट्रांसफार्मरों से अवैध रूप से जोड़कर कुल 298 नग LED BULB कुल भार 10.43 KW का नगर पंचायत क्षेत्र अतंर्गत डायरेक्ट जोड कर उपयोग करते पाया गया था। प्राप्त लोड के आधार पर औसत खपत की गणना निम्नानुसार की गई है।

10.43KW Load x 12H x 30D /1000 = 3750 Unit

उक्त कनेक्शन में मात्र 3500 यूनिट प्रति माह का बिलिंग किया गया था जिसमें किसी प्रकार का कोई पेनल बिलिंग नही किया गया है।

(2) नगर पंचायत पाण्डातराई क्षेत्र अंतर्गत बीपीनं. 1003022568 के अंतर्गत स्थापित ट्रांसफार्मरो में 10 नग मीटर स्थापित कर सभी मीटरों के खपत का योग माहवार निम्नलिखित है।

Month	Unit	Month	Unit	Month	Unit
Dec-25	3956	Mar-26	2451	Jun-26	3718
Jan-26	4151	Apr-26	3059	Jul-26	4153
Feb-26	2395	May-26	4728	Total unit	28611

3576 Average Unit Per Month

जिसका औसत प्रतिमाह 3576 यूनिट है। जिसके आधार पर यह प्रमाणित है कि पिछला खपत 3500 यूनिट की औसत गणना सही किया गया है।

अतः आपकी ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न – पत्र के दिनांक 05.01.2021

कार्यपालन अभियंता (सं. / स.) संभाग
छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि.पंडरिया

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक /विउशिनिफोराज./2026/79 राजनांदगांव दिनांक 31/08/26

01. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,,
नगर पंचायत (C.M.O) पांडातराई
जिला कबीरधाम (छ.ग.)।

02. कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग,
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., पंडरिया।

विषय :– **प्रकरण क्रमांक/29/2026 पर पारित आदेश**

——00——

विषयांतर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, राजनांदगांव

प्रतिलिपि :

अधीक्षण अभियंता (वृत्त), छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., कवर्धा।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष ए.के. गौराहा)

प्रकरण क्रमांक / 29 / 2026

संस्थित दिनांक 21 / 07 / 2026

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ...परिवादी
नगर पंचायत (C.M.O) पांडातराई जिला कबीरधाम (छ.ग.)

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा / संधा) संभाग, ...उत्तरवादी
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि.,पंडरिया।

आदेश

(दिनांक 31 / 08 / 2026 को पारित)

परिवादी (C.M.O) पांडातराई द्वारा स्ट्रीट लाईट बी.पी. क्रमांक 1003022568 के संबंध में यह शिकायत प्रस्तुत की गई है कि माह नवम्बर–2023 से दिसम्बर–2025 तक बिना मीटर रीडिंग लिए तथा बिना किसी विधिवत स्थल सत्यापन के औसत आधार पर विद्युत बिल जारी किये गए है। उक्त शिकायत का विभाग द्वारा समुचित निराकरण नहीं किये जाने से असंतुष्ट होकर परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत की गई है।

1. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

   क. उत्तरवादी द्वारा स्ट्रीट लाईट कनेक्शन बी.पी. क्रमांक 1003022568 अनुबंधित भार 3 एच.पी. प्रदान किया गया था।

   ख. उक्त विद्युत कनेक्शन पर शिकायत में वार्णित अवधि के पूर्व से ही मीटर स्थापित नहीं था।

   ग. परिवादी को औसत आधार पर ही बिल प्रेषित किया जा रहा था।

2. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी की मुख्य शिकायत यह है कि नगर पंचायत पांडातराई के स्ट्रीट लाईट कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1003022568 के संबंध में नवम्बर–2023 से दिसम्बर 2025 तक प्रतिमाह लगभग 3500 से 4500 यूनिट के औसत खपत मानकर बिद्युत बिल जारी किये गए जबकि इन बिलों का आधार न तो वास्तविक मीटर रीडिंग था। और न ही कोई विधिवत स्थल सत्यापन किया गया था। परिवादी का कहना है कि उक्त औसत निर्धारण का कोई ठोस एवं विधिसम्मत आधार नहीं है। संबंधित कनेक्शन केवल स्ट्रीट लाईन संचालन हेतु प्रयुक्त होता है। जिसके कारण उसकी विद्युत खपत का आकलन वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप किया जाना आवश्यक था। विभाग द्वारा बिना प्रर्याप्त आधार के अत्यधिक विद्युत खपत मानकर बिल जारी किये गए जो न्यायसंगत नही है।

परिवादी ने यह निवेदन किया है कि संबंधित अवधि के विद्युत बिलों की पुनः समीक्षा कर वास्तविक खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी किये जाए तथा अतिरिक्त वसूली, यदि कोई हो, तो उसे समायोजित अथवा वापस किया जाए।

3. प्रस्तुत शिकायत का उत्तरवादी द्वारा अपने पत्र कमांक 1499 दिनांक 20.08.2026 एवं 1546 दिनांक 27.08.2026 के माध्यम से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में निम्नानुसार है कि –

उत्तरवादी द्वारा संबंधित कनेक्शन का स्थल निरीक्षण माह जनवरी–2021 को किया गया था जिसमें 3 एच.पी. अनुबंधित भार के स्थान पर 14 एच.पी. (कुल 258 नग एलएडी बल्ब 10.43 KW) भार का उपयोग करते पाया गया था। जिसके आधार पर विद्युत खपत का आकलन कर 3500 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर बिलिंग की गई थी। इस संबंध में किसी प्रकार का दण्ड अथवा अतिरिक्त प्रभार भी अधिरोपित नहीं किया गया था।

उक्त बी.पी.क्रमांक 1003022568 के अंतर्गत संचालित स्ट्रीट लाईन व्यवस्था से संबंधित 10 ट्रांसफार्मरों पर पृथक–पृथक परीक्षण (चेक) मीटर स्थापित किये गए तथा दिसम्बर–2025 से जुलाई–2026 तक की वास्तविक विद्युत खपत का अभिलेख तैयार किया गया।

मीटरों से प्राप्त विद्युत खपत का विवरण निम्नानुसार है :–

Month	Unit	Month	Unit	Month	Unit
Dec.25	3956	Mar.26	2451	June.26	3718
Jan.26	4151	Apr.26	3059	July.26	4153
Feb.26	2395	May.26	4728	Total Unit	28611

उक्त अवधि की औसत विद्युत खपत लगभग 3576 यूनिट प्रतिमाह प्राप्त हुई जिससे यह प्रमाणित होता है कि पूर्व में 3500 यूनिट प्रतिमाह के औसत के आधार पर की गई बिलिंग वास्तविक खपत के लगभग अनुरूप थी।

उत्तरवादी ने यह उल्लेख किया है कि 10.43 किलोवाट के वास्तविक भार के आधार पर यदि प्रतिदिन 12 घंटे उपयोग माना जाए तो मासिक अनुमानित विद्युत खपत लगभग 3750 यूनिट होती है। (1043 किलोवाट लोड X 12 H X 30 D / 1000 = 3750 यूनिट) जो पूर्व में निर्धारित औसत खपत के लगभग बराबर है।

इसके अतिरिक्त कनिष्ठ अभियंता पांडातराई द्वारा अपने पत्र क्रमांक 964 दिनांक 05.01.2021 के माध्यम से भी यह प्रतिवेदन किया गया था कि परिवादी द्वारा स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार का उपयोग किया जा रहा था। तथा स्ट्रीट लाईन व्यवस्था को सीधे (डायरेक्ट) लाईन से संचालित किया जा रहा था जिसके कारण दिन के समय भी अनेक स्थानों पर स्ट्रीट लाईटे जलती रहती थी। उक्त प्रतिवेदन में परिवादी को विधिवत विद्युत संयोजन एवं स्विचिंग व्यवस्था स्थापित करने की सलाह भी दी गई थी।

4. पक्षकारों के कथनों, अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार इस प्रकरण में निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं –

I. क्या उत्तरवादी द्वारा परिवादी के स्ट्रीट लाईट विद्युत कनेक्शन के संबंध में नवम्बर–2023 से दिसम्बर–2025 तक औसत विद्युत खपत के आधार पर की गई बिलिंग विधिसम्मत एवं न्यायोचित है?

II. क्या अभिलेखों से यह सिद्ध होता है कि परिवादी द्वारा स्वीकृत विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग किया जा रहा था।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न कमांक (i) एवं (ii) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

5. पक्षकारों के कथनों, अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन के उपरांत आयोग निम्न निष्कर्ष पर पहुचता है।

यह निर्विवाद है कि संबंधित स्ट्रीट लाईट विद्युत कनेक्शन पर विद्युत मीटर स्थापित नहीं था ऐसी स्थिति में वास्तविक विद्युत खपत का निर्धारण मीटर रीडिंग के आधार पर किया जाना संभव नहीं था। फलस्वरूप उत्तरवादी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितयों के आधार पर औसत विद्युत खपत निर्धारित कर बिलिंग करना ही एक मात्र विकल्प था।

अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि जनवरी–2021 में उत्तरवादी द्वारा किये गए स्थल निरीक्षण के दौरान स्वीकृत 3 एच.पी. भार के स्थान पर लगभग 10.43 किलोवॉट विद्युत भार उपयोग में पाया गया। इस संबंध में कनिष्ठ अभियंता द्वारा पृथक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया था। जिसमें यह उल्लेख किया गया कि स्ट्रीट लाईन व्यवस्था सीधे विद्युत लाईन से संचालित की जा रही थी। तथा दिन के समय भी अनेक स्थानों पर लाईटे जलती रहती थी।

उत्तरवादी द्वारा दिसम्बर–2025 से जुलाई–2026 के मध्य संबंधित स्ट्रीट लाईट व्यवस्था से जुडे 10 ट्रांसफार्मरों पर पृथक–पृथक परीक्षण मीटर स्थापित कर वास्तविक विद्युत खपत का आंकलन किया गया । इन मीटरों से प्राप्त कुल विद्युत खपत 28611 यूनिट रही जिसका औसत लगभग 3576 युनिट प्रतिमाह निकलता है।

यह औसत पूर्व में नवम्बर–2023 से दिसम्बर–2025 तक 3500 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर की गई बिलिंग के अत्यंत निकट है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी द्वारा अपनायी गई औसत खपत की पद्धति मनमानी कल्पनिक अथवा निराधार नहीं थी। बल्कि बाद में प्राप्त वास्तविक आकडों द्वारा भी उसका प्रर्याप्त समर्थन होता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तरवादी ने स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार उपयोग किये जाने के बावजूद परिवादी के विरूद्ध विद्युत अधिनियम अथवा प्रचलित नियमों के अंतर्गत किसी प्रकार का दण्डात्मक प्रभार अधिरोपित नहीं किया गया। बल्कि केवल औसत विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किये गए। इससे यह भी प्रतीत होता है कि उत्तरवादी द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण व्यवहारिक एवं संतुलित था।

परिवादी द्वारा यह अवश्य कहा गया कि बिल बिना मीटर रीडिंग एवं बिना स्थल सत्यापन के जारी किये गए है। ऐसी स्थिति में जब उपभोक्ता परिसर में मीटर स्थापित नहीं है तथा उपभोक्ता स्वंय मीटर स्थापना हेतु आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराता तब वितरण कंपनी द्वारा उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों निरीक्षण प्रतिवेदन एवं तुलनात्मक औसत खपत के आधार पर की गई बिलिंग को मनमाना नहीं कहा जा सकता विशेषकर तब जबकि बाद में स्थापित परीक्षण मीटरों से प्राप्त वास्तविक खपत भी उसी औसत की पुष्टि करती हो।

6. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत प्रस्तुत परिवाद में निम्नानुसार आदेश प्रदान किया जाता है :–

I. उत्तरवादी द्वारा नवम्बर–2023 से दिसम्बर–2025 तक की अवधि के लिए औसत विद्युत खपत के आधार पर की गई बिलिंग उपलब्ध साक्ष्यो के अनुरूप युक्तिसंगत एवं विधिसम्मत है।

II. उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी प्रमाणित होता है कि परिवादी द्वारा स्वीकृत विद्युत भार से अधिक विद्युत भार का उपयोग किया जा रहा था ऐसी स्थिति में उत्तरवादी द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार औसत विद्युत बिल निर्धारित कर बिलिंग किया जाना मनमाना एवं गलत नहीं कहा जा सकता।

III. परिणामस्वरूप परिवादी की शिकायत निरस्त की जाती हैं।

7. इस आदेश के पारित होने के उपरांत इस प्रकरण में किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही किये जाने आवश्यकता शेष नहीं रहती।

8. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से असंतुष्ट हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ.ग.)के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत् कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

(एन.के.साहू)
सदस्य

आदेश पारित किया गया

(ए.के. गौराहा)
अध्यक्ष